न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /21/2024

धनंजय पुत्र भगवत जाति गूजर निवासी ऊंचा गॉव तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1–वीरेन्द्र पालसिंह पुत्र फूलसिंह जाति जाटव निवासी ग्रांम कपरौला तहसील व जिला भरतपुर वर्तमान निवासी खानुआ तहसील रुपवास जिला भरतपुर
2–महेशचन्द पुत्र भरतसिंह जाति जाटव निवासी ग्रांम बछामदी तहसील वजिला भरतपुर।

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 771 दिनांक 24.5.2024 बाके ग्रांम ऊँचागांव, तहसील भरतपुर

उपस्थितः–
1–श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री शिवकुमार, अभिभाषक, रेस्पो.न01
2– श्री सोनीराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पो.न.2

निर्णय

दिनांक 12.02.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 771 दिनांक 24.5.2024 वाके ग्रांम ऊँचागांव, तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 771 दिनांक 24.5.2024 (आराजी खसरा नम्बर 400 रकवा 1.4400 सैरावी) रेस्पो. संख्या–2 महेशचन्द पुत्र भरतसिंह के हक में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.6.2024 को पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। तहत पत्रावली तलव की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/एलआर/24/4229 दिनांक 15.1.2024 से सत्यप्रतिलिपी नामान्तकरण संख्या 771 ग्रांम ऊँचा गांव तहसील भरतपुर प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। रेस्पो. की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आराजी खसरा नम्बर 400 रकवा 1.4400 सैरावी ग्रांम ऊँचा गांव विक्रय

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 771 रेस्पो–2 खातेदार दर्ज किया गया है जब कि यह आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजी है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि विवादित आराजी का गत खसरा नम्बर 380/1–15 का रेस्पो.1 के पिता फूलसिंह को पट्टा हुआ था जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने आवंटन निरस्त करने के लिये प्रकरण ए0डी0एम0 भरतपुर के न्यायालय में पेश किया था, न्यायालय ए.डी.एम. ने अपने आदेश दिनांक 2.1.1999 से यह पट्टा निरस्त कर दिया गया। न्यायालय ए.डी.एम. के आदेश दिनांक 2.1.1999 की अपील न्यायालय आर.ए.ए.भरतपुर के यहॉ की गई जो दिनांक 13.11.2001 को खारिज हुई है। आर. ए.ए.भरतपुर के आदेश दिनांक 13.11.2001 की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश की गई जो दिनांक 15.6.2018 को खारिज की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलाट का तर्क है कि विवादित आराजी का आवंटन पट्टा सक्षम न्यायालय से निरस्त हो गया और अपील न्यायालय द्वारा भी पट्टा निरस्ती आदेश ए0डी0एम0 भरतपुर को बहाल रखा गया है। जब आंवटन आदेश ही निरस्त हो गया तो विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में पूर्व की भांति सिवाय चक दर्ज करना चाहिये था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया और विवादित आराजी पर रेस्पो. संख्या 1 के नाम नियमों के विपरीत नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया, जो काबिल निरस्ती के रहता है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि विवादित आराजी को लेकर एक राजस्व वाद एस.डी.ओ.भरतपुर के न्यायालय मे विचाराधीन है, जिसमें विवादित आराजी पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, स्थगन आदेश पर कोई ध्यान नहीं देकर तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश गलत दर्ज किया गया है। तहत न्यायालय ने विवादित आराजी के मौके पर कब्जे के बाबत कोई जांच नहीं की है। मौके के विपरीत एवं नियमो के खिलाफ दर्ज अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 771 दिनांक 24.5.24 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे.202(2) पेज 576, आरबीजे 1996(2) पेज 55, डी.एन.जे. 2013 पेज 561, आर.आर.डी. 1989 पेज 771 उद्धरित किये।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 771 दिनांक 24.5.24 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 400 रकबा 1.4400 सैरावी ग्रांम ऊँचा गांव रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर रेस्पो. संख्या –2 महेशचन्द पुत्र भरतसिंह जाति जाटव निवासी ग्रांम बछामदी तहसील वजिला भरतपुर के हक दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। तहसीलदार ने नियमों के तहत आदेश पारित किया है। बैयनामा आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है। रजिस्टर्ड बैयनामा को निरस्त करने या नही

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने बताया कि विवादित आराजी के विक्रय किये गये रजिस्टर्ड बैयनामा को लेकर सिविल न्यायालय में दावा विचाराधीन है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कभी कब्जा नहीं रहा है। अपीलान्ट लट्ठ के बल पर आराजी को हड़पना चाहता है। माननीय सिविल न्यायालय ने स्थगन आदेश दिनांक 22.11.2024 को जारी किया हुआ है। योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे.2011 पेज 559, 89, आरबीजे 2007 पेज 68, आरबीजे 2006 पेज 136, आरबीजे 2009 पेज 428 उद्धरित किये तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गोर किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा उद्धरित रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 771 दिनांक 24.5.2024 का अवलोकन किया गया, यह नामान्तकरण पंजीकृत बयनामा के आधार (आराजी खसरा नम्बर 400/1.4400 है0 ग्रांम ऊँचा गावं) पर रेस्पो. संख्या 2 महेशचन्द पुत्र भरतसिंह जाति जाटव निवासी ग्रांम बछामदी तहसील भरतपुर के हक में दर्ज किया जाकर तहसीलदार भरतपुर ने स्वीकार किया है। अपीलाधीन नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह कहना है कि अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज भूमि पर एस.डी.एम.न्यायालय भरतपुर का स्थगन आदेश था, परन्तु अपीलान्ट ने कथित स्थगन आदेश पालना हेतु भूमिधारी तहसीलदार भरतपुर के यहॉ प्राप्ती होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भरतपुर के पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किये जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध सत्यप्रतिलिपि माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या–1भरतपुर द्वारा मुस0दी0प्र0 सं. 68/2024 सी.आई.एस नं0 118/202 उनवानी धनजंजय बनाम वीरेन्द्रपाल सिंह आदि में जारी निर्णय दिनांक 22.11.2024 का अवलोकन किया गया। माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या–1 भरतपुर ने अपने उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2024 में विस्तृत उल्लेख करते हुये आदेश दिया है जो इस प्रकार है –

> ".....तदनुसार प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण के दोनों ही पक्षों को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के निस्तारण तक या न्यायालय के अन्यथा आदेश तक पावन्द किया जाता है कि वे विवादित सम्पति के अभिलेख की स्थिति यथावत बनाय रखें व उसमें कोई तृतीय पक्ष हित उत्पन्न ना करें.....।"

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.5.2024 के बावत माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर, तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं कि वे पक्षकारान के मध्य माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या–1 भरतपुर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.5.2024 को लेकर विचाराधीन प्रकरण में जो भी निर्णय हो तद्नुसार कार्यवाही करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान के मध्य माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या–1 भरतपुर में विचाराधीन प्रकरण में जो भी निर्णय हो तद्नुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर